

03/10/24

अधिवक्ता उमयपल उप. पुकरण में बैर्यो. संख्या 01 व 02
के कायम मुकाम के नोटिस ^{संबन्धित कार्यवाही} पेरा उरने हेतु पूर्व में कर अ-
सर दिये जा चुके हैं। इसके बावजूद अधिवक्ता अपीलंत
द्वारा आज दिनांक तक कायम मुकाम की कार्यवाही पेरा
वहीं की गई है। जो कि न्यायालय के आदेशों की अव-
हेलना की श्रेणी में परिलक्षित होता है। अतः न्यायालय
के आदेशों की निरन्तर अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप
पत्रावली अदम्य तन्मील में धारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल नुसार लेटर बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व
दृक्क हो।

राजस्व अधिकारी
पाली

